प्रेस नोट दिनांक 26.09.2020 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

थाना कैण्ट क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 21.09.2020 को हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति को घायल कर सड़क सरेराह दहशत फैलाने वाला एक और शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 21.09.2020 को विशुनपुरा मोड़ व आर0के0बी0के0 मारुति शोरुम के पास बदमाशो द्वारा सड़क सरेआम फायरिगं करते हुए दहशत फैलाते हुए एक व्यक्ति को घायल कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1228/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए घटना के अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में , श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में कई टीमें बनाकर कर लगायी गयी थी। जिसके क्रम में पूर्व में घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 07 शातिर अपराधियों को दिनांक 24.09.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगी हुई है , जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2020 को समय 08.00 बजे गोरखपुर देवरिया रोड पर महादेव झारखण्डी गेट के सामने रोड के किनारे से घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त विनय कुमार सिंह उर्फ जानू पुत्र साधू शरण सिंह निवासी ग्राम भैरोपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

घटना क्रम-

दिनाँक 20/09/2020 को लगभग 15.00 बजे पैड़लेगंज स्थित पासा रेस्टोरेन्ट में दो गुटो में विवाद हुआ। विवाद की सूचना पर पैड़लेगंज चौकी की फोर्स द्वारा मौके से दोनो पक्ष जिसमें एक पक्ष का लीडर अविनाश सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम भैरोपुर थाना बाँसगाँव गोरखपुर हा0मु0 अवास विकास कालोनी कूड़ाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर व दूसरे पक्ष का लीडर शुभम सिंह पुत्र भगवन्त सिंह निवासी जयनगर थाना बरहज जनपद देवरिया था। उक्त दोनो पक्षों से एक-एक व्यक्ति क्रमशः 1. आदर्श शुक्ला व 2. शुभम सिंह उपरोक्त को पकड़कर थाने लाया गया था, शेष मौके से फरार हो गये थे। दोनो पक्षों द्वारा विवाद के संबंध में थाने पर आपसी सुलहनामा दिया गया। जिसके आधार पर दोनो को थाने से छोड़ा गया था। विवाद के दौरान प्रवीन राय निवासी धनौड़ा छोटी थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर पासा रेस्टोरेन्ट पर मौजूद था, जो दोनो पक्षों के विवाद के दौरान बीच बचाव किया था। यह बात शुभम सिंह उपरोक्त पक्ष को नागवार लगा था। दिनांक 20.09.2020 को रात्रि करीब 10.00 बजे चम्पारण रेस्टोरेन्ट के पास प्रवीन राय खाना पैक कराने गया था उसी समय शु भम सिंह उर्फ सिघाड़ा , प्रज्वल सिंह व जाकिब खान व अन्य व्यक्तियों ने मारा पीट कर गम्भीर चोट पहुचाई।जिसके संबंध में प्रवीन राय द्वारा थाना स्थानीय पर एन0सी0आर0 नं0 0120/20 धारा 323 भादवि पंजीकृत कराया गया। जांच के दौरान घटना में मिले साक्ष्यों के आधार पर एनसीआर को मु0अ0सं0 1231/2020 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में तरमीन किया गया। झझपुलिस घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP 53 DR 0551 बलैनो कार की खोजबीन शुरु किया तब अभियुक्त प्रज्जवल द्वारा सोची समझी साजिश के तहत घटना में प्रयुक्त बलैनो नम्बर UP 53 DR 0551 को सर्विस कराने के नाम पर मारुति एजेन्सी गुलरिहा गोरखपुर में दिनांक 21.09.2020 को खड़ी कर दिया गया। दिनांक 21.09.2020 को समय लगभग 02 बजे दिन में अविनाश एवं शुभम सिंह दोनो अपने अपने साथियों के साथ अवैध असलहा व डण्डा

एंव राड से लैस होकर मौजूद थे जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की घटना की जा रही थी। जबकि दूसरे पक्ष द्वारा गाड़ी चढाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी समय प्रवीन राय अपने मित्र जीतेन्द्र यादव के साथ तरकुलहा देवी मन्दिर से वापस लौट रहा था। प्रवीन राय को अचनान देख दिनांक 20.09.2020 को हुई घटना के संबंध थाना कैण्ट पर पंजीकृत मुकदमे की रंजिश वश व एक राय होकर प्रवीन राय व उसके दोस्त जितेन्द्र यादव को जान से मारने की नियत से रोक कर हमला व फायरिंग किया। जिस पर प्रवीन राय अपने दोस्त के साथ जान बचाते हुए शहर की तरफ भागा , उक्त सभी अभियुक्त गण बिना नम्बर की बलैनो व अन्य गाड़ियों से इन दोनो लोगो का पीछा करते दशहत फैलाते हुए आर0के0बी0के0 के पास सड़क सरेआम फायरिंग उन दोनो को घेरकर कई राउण्ड फायरिंग किये। जिसपर प्रवीन राय के दोस्त जितेन्द्र यादव को गोली लग गयी और गम्भीर रुप से घायल हो गया। जिसका इलाज बीआरडी मेडिकल कालेज में चल रहा है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1228/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त 06 अभियुक्तगण सुमित चन्देल, अविनाश सिंह , प्रज्जवल सिंह , विक्रान्त पासवान , प्रिन्स साही , शुभम राव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है , उक्त क्रम में अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगी हुई है , जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2020 को समय 08.00 बजे गोरखपुर देवरिया रोड पर महादेव झारखण्डी गेट के सामने रोड के किनारे से घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त विनय कुमार सिंह उर्फ जानू पुत्र साधू शरण सिंह निवासी ग्राम भैरोपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त बलैनो कार वाहन संख्या UP 53 DQ 1331 अभियुक्त विनय कुमार सिंह उर्फ जानू की थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. विनय कुमार सिंह उर्फ जानू पुत्र साधू शरण सिंह निवासी ग्राम भैरोपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमा राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री काजीसगीरुल हकथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 साहबलालथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 सुजीत कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 अजीत वर्माथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर